न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 123 / 2024 निर्णय दिनांक :– 11/6/2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. गायत्री पुत्री रामस्वरूप जाति ब्रहाम्ण निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. गोविन्दनारायण पुत्र रामस्वरूप जाति ब्रहाम्ण निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. पिताम्बर पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहाम्ण निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. महेश पुत्र मनभर जाति ब्रहाम्ण निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक राज0 (डिलिट)
5. लोकेश पुत्र मनभर जाति ब्रहाम्ण निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. सत्यनारायण पुत्र रामस्वरूप जाति ब्रहाम्ण निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. सावित्री पुत्री रामस्वरूप जाति ब्राहाम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

तहसीलदार दूनी

उपस्थिति :– श्री कुलदीप शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 27 खसरा नम्बर 15 रकबा 1.22 है0 व खसरा नम्बर 34 रकबा 0.46 वाके ग्राम दोलतपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य सीमा व कब्जे को लेकर गम्भीर

Scanned with OKEN Scanner

विवाद होने की संभावना है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत् भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिए उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नही करवायी गई तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप मुकदमें बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। किसी अन्य खातेदार का कब्जा नही है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो के खसरा नम्बर 16 व 29 से सीमा विवाद होना बताया है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी पक्षकार का विरासत नामान्तकरण अवशेष नही है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नही है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान होना बताया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् डिलिट किए जाने प्रतिपक्षी संख्या 4 पेश किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रतिपक्षी संख्या 4 के आग डिलिट लिखा जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस की प्रार्थना की।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष

Scanned with OKEN Scanner

में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में खाता संख्या 27 खसरा नम्बर 15 रकबा 1.22 है0 व खसरा नम्बर 34 रकबा 0.46 वाके ग्राम दोलतपुरा तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली

Scanned with OKEN Scanner